रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072023-247533
CG-DL-E-22072023-247533

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3134] **नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2023/आषाढ़ 30, 1945**
No. 3134] **NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2023/ASHADHA 30, 1945**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2023

का.आ. 3267(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) और धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को बोल्ट्स, नट्स और फास्टेनेर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छ: माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा:

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित लघु उद्यमों के लिए यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों के लिए यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-1 के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते इसके अलावा कि इस आदेश में से कुछ भी उन वस्तुओं अथवा सामान पर लागू नहीं होगा जिन्हे किसी तैयार वस्तु अथवा उनके हिस्से अथवा घटक के रूप में आयात किया गया है।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी उन वस्तुओं अथवा सामान पर लागू नहीं होगा जिनका घरेलू विनिर्माता द्वारा निर्यात हेतु उत्पाद विनिर्मित करने के लिए आयात किया गया है।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के 'उद्यम पोर्टल' के तहत पंजीकृत उद्यमों द्वारा स्वदेशी रूप से विनिर्मित वस्तुओं अथवा सामान पर लागू नहीं होगा, जिसमें मूल लागत पर संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण में निवेश पच्चीस लाख रूपए से अधिक नहीं है तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा यथा सत्यापित उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, उसे संगत गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन से छूट दी जाएगी।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – यह ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
बोल्ट्स, नट्स और फास्टेनेर्स	1363(पार्ट 1):2019	उत्पाद ग्रेड सी के हेक्सागन हेड बोल्ट्स, स्क्रू और नट्स – हेक्सागन हेड बोल्ट्स (आकार एम 5 से एम 64 तक)
	1363(पार्ट 2):2018	हेक्सागन हेड स्क्रू (आकार एम 5 से एम 64 तक)
	1363(पार्ट 3):2018	उत्पाद ग्रेड सी के हेक्सागन हेड बोल्ट्स, स्क्रू और नट्स – हेक्सागन नट्स (आकार एम 5 से एम 64 तक)
	1364(पार्ट 1):2018	उत्पाद ग्रेड ए और बी के हेक्सागन हेड बोल्ट्स, स्क्रू और नट्स – हेक्सागन हेड बोल्ट्स (आकार एम 1.6 से एम 64 तक)
	1364(पार्ट 2) :2018	उत्पाद ग्रेड ए और बी के हेक्सागन हेड बोल्ट्स, स्क्रू और नट्स – हेक्सागन हेड स्क्रू (आकार एम 1.6 से एम 64 तक)
	4621:1975	सार्वजनिक स्नानघर और शौचालय में इस्तेमाल के लिए दर्शाए गए बोल्ट्स
	5187:1972	फ्लश बोल्ट्स
	10238:2001	फास्टेनेर्स - थ्रेडिड स्टील फास्टेनेर्स –स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए स्टेप बोल्ट्स
	12427:2001	फास्टेनेर्स - थ्रेडिड स्टील फास्टेनेर्स - हेक्सागन हेड ट्रंजमिशन टावर बोल्ट्स
	3757:1985	हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल बोल्ट्स
	204(पार्ट 2):1992	टावर बोल्ट्स – नॉन-फेरस मेटल
	204(पार्ट 1):1991	टावर बोल्ट्स – फेरस मेटल
	15834:2020	पैडलॉक के साथ इस्तेमाल के लिए स्टैनलेस स्टील स्लाइडिंग डोर बोल्ट्स (एल्ड्रॉप्स)
	2681:1993	पैडलॉक के साथ इस्तेमाल के लिए नॉन-फेरस मेटल सस्लाइडिंग डोर बोल्ट्स (एल्ड्रॉप्स)
	281:2009	पैडलॉक के साथ इस्तेमाल के लिए माइल्ड सस्टील स्लाइडिंग डोर बोल्ट्स

	7534:1985	पैडलॉक के साथ इस्तेमाल के लिए स्लाइडिंग लॉकिंग बोल्ट्स
	1284:1975	सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनों के लिए रॉट एल्युमिनियम एलॉय बोल्ट् और स्क्रू स्टॉक
	15833:2009	स्टैनलेस स्टील टावर बोल्ट्स
	6623:2004	हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल नट्स

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/1/2023-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 21st July, 2023

S.O. 3267(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely: -

1. **Short title and commencement. -** (1) This Order may be called The Bolts, Nuts and Fasteners (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force with effect from six months from the date of publication of notification:

Provided that for Small Enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from **Nine** months from the date of publication of this notification.

Provided that for Micro Enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from **Twelve** months from the date of publication of this notification.

2. **Compulsory use of Standard Mark. -** Goods or articles specified in the column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that nothing in this Order shall apply to goods or articles imported as a part of any finished good or sub-assembly or component:

Provided also that nothing in this Order shall apply to goods or articles imported by domestic manufacturer for manufacturing products for export:

Provided also that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically by an enterprise, registered under "Udyam portal" of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty-five lakh rupees and the turnover does not exceed two crore rupees for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant shall be exempted from implementation of the relevant Quality Control Order.

3. **Certification and enforcing authority. -** The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (1) of the said Table.

4. **Penalty for contravention. –** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	**Indian Standard**	**Title of Indian Standard**
(1)	**(2)**	**(3)**
Bolts, Nuts and Fasteners	1363 (Part 1):2019	Hexagon Head Bolts, Screws and Nuts of product Grade C Hexagon Head Bolts (Size Range M 5 to M 64)
	1363 (Part 2): 2018	Hexagon Head Screw (Size ranges from M 5 to M 64)
	1363 (Part 3): 2018	Hexagon Head Bolts, Screws and Nuts of product Grade C - Hexagon Nuts (Size Range M5 to M64)
	1364 (Part 1):2018	Hexagon Head Bolts, Screws and Nuts of product Grades A and B - Hexagon Head Bolts (Size Range M 1.6 To M 64)
	1364 (Part 2) :2018	Hexagon Head Bolts, Screws and Nuts of Product Grades A and B - Hexagon Head Screws (Size Range M 1.6 to M 64)
	4621:1975	Indicating Bolts for use in public baths and lavatories
	5187:1972	Flush Bolts
	10238:2001	Fasteners - Threaded Steel Fastener - Step Bolts for Steel Structures
	12427:2001	Fasteners - Threaded Steel Fasteners - Hexagon Head Transmission Tower Bolts
	3757:1985	High Strength Structural Bolts
	204 (Part 2): 1992	Tower Bolts- Non-ferrous metals
	204 (Part 1):1991	Tower Bolts- Ferrous metals
		Stainless Steel Sliding Door Bolts (Aldrops) for use With Padlocks
	2681:1993	Non-ferrous metal sliding door bolts (aldrops) for use with padlocks
	281:2009	Mild steel sliding door bolts for use with padlocks
	7534:1985	Sliding locking bolts for use with padlocks
	1284:1975	Wrought Aluminium Alloy Bolt and Screw Stock for General Engineering purposes
	15833:2009	Stainless steel Tower Bolts
	6623:2004	High Strength Structural Nuts

Note : For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issues thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply from the date of such notification.

[F. No. P- 29026/1/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.